न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 18/2022

1—मौहम्मद रफीक खान पुत्र हुसैन खा जाति मेव निवासी सबलाना तहसील कामां (भरतपुर) राजस्थान
2—हुसैन खां पुत्र रेठखां जाति मेव निवासी बौलखेड़ा तहसील कामां (भरतपुर) राजस्थान
3—बिस्साराम पुत्र किशनसिंह जाति गूर्जर निवासी पल्ला तहसील कामां
4—सुबह सिंह पुत्र देवीसिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम कनवाडा तहसील कामां

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 14.12.2022

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1590/0.52,व पुराना खसरा नम्बर 5663/0.52 कामां नं03 तहसील कामां में से प्रार्थी संख्या 1 ने रूजगार खां पुत्र सिमरूखां व रज्जू पुत्र सिमरू खा ने बयनामा दिनांक 17.7.2021 को खरीद किया था वक्त बयनामा से ही प्रार्थी संख्या 1 अपने मुताबिक हिस्से पर काबिज रहकर उक्त रकवा को उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व उक्त खसरा नम्बर में से हरीसिंह पुत्र दीपचन्द के 3/140 हिस्सा को बयनामा दिनांक 14.07.2007 से अज्जो पत्नि गोपी गूर्जर निवासी कनवाडा ने खरीद किया व प्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अज्जो पत्नि गोपी गूर्जर निवासी ग्राम कनवाडा से दिनांक 01/04/2015 को खरीद किया था और वक्त बयनामा से ही प्रार्थी संख्या 3 व 4 उक्त रकवे के मुताबिक हिस्से पर काबिज रहकर अपने अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे हैं । प्रार्थी संख्या 2 हुसैन खां पुत्र रेठाखां मुताबिक अपने हिस्से पर काश्तकार खातेदार काबिज है । किन्तु प्रार्थी संख्या 1 व 3 व 4 के नाम अभी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दाखिल खारिज दर्ज नहीं हुआ है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 5663/0.52 के नये नम्बर कायम किये गये हैं जिसमें प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1590/0.52 कायम कर मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया । लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये खिलाफ कानून व मौका के प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1590/0.52 को नये में सही जगह पर दर्ज नहीं किया जबकि प्रार्थीगण का पूर्व में ही ब्लू प्रिट के आधार पर मुताबिक मौका कब्जा कर प्रार्थीगण अपने मुताबिक हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं । परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस में गलत दर्ज किये गये खसरा नम्बर से प्रार्थीगण को शक्त हक तलफी हो रही है इसलिए प्रार्थीगण को मौका कब्जा के अनुसार नक्षा ट्रेस बन्दोबस्त में शुद्धि चाहता है । जो न्याय संगत है । प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । हाल बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 1590/0.52 को मौका कब्जा के अनुसार कायम किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

n

n

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक/एल.आर./2022/1727 द्वारा जबाव पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 5663/4.01 हैक्टर है जिसके नवीन ख0नं0 1583/1.29, 1584/0.04, 1585/0.43, 1585/0.58, 1587/0.16, 1588/0.32, 1589/0.52, 1590/0.52, 1591/0.04, 1592/0.07 किता 10 रकवा 4.01 बने हैं । हाल खसरा नम्बर 1583/1.29 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता सिवायचक दर्ज रिकार्ड है । हाल खसरा नम्बर 1590/0.52 हैक्टर किस्म चाही I पर जगदेवसिंह व रामवीरसिंह पिसरान चन्दीसिंह जाति ठाकुर व हिस्सा 2/35 साकिन वरगला, नगरपालिका कामां हिस्सा 1/20, यशोदादेवी पत्नी देवकीनन्दन जाति जाट हि0 3/10 साकिन कामां, रज्जूखा, रूजदारखां पिसरान शिमरूखां कौम मेव हिस्सा 1/35 सा. सवलाना विन्दादेवी पत्नी जगदीष प्रसाद जाति गूजर हिस्सा 1/2 हरीसिंह पुत्र दीपचन्द जाति जाट हि. 3/140 सा. कामां, हुसैनखां पुत्र रेठाखां जाति मेव हिस्सा 1/35 सा. सवलाना, हारून पुत्र रसीदखां जाति मेव हि. 1/70 सा. जंघावली मथुरा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। हाल खसरा नम्बर 1583 रकबा 1.29 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता मकवूजा सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है जबकि मौके पर आ0 ख0न0 1590 रकबा 0.52 के खातेदारों मकान दुकानें आदि आ0ख0नं0 1583/1.29 में बने हुए हैं तथा शेष रकबा में होकर तहसील के सामने जाने वाली सड़क निकल रही है। आराजी खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.52 है0 किस्म चाही–1 में जगदेवसिंह, रामवीरसिंह, यशोदादेवी, रज्जूखां, रूजदार आदि खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं जबकि मौके पर आ0ख0न0 1590/0.52 जंगल में है। यानि कस्बा कामां से 01 किमी दूर केपी ड्रेन के सहारे–सहारे रास्ता जा रहा है जो मौके पर खाली है। जिसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं जिसका मौके पर वास्तविक रूप रास्ता है। मौके के अनुसार ख0न0 1590 के खातेदार तहसीलदार के सामने काबिज हैं जिन्हें मौके अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–2077,नक्षा,मिलान क्षेत्रफल, बयनामा की प्रति सलग्न की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार कामां की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1590/0.52 हैक्टर वाके ग्राम कामां नं03 पर जगदेवसिंह, रामवीरसिंह, यशोदादेवी, रज्जूखां, रूजदार आदि खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिसमें मौके पर खातेदारों की मकान, दुकाने आदि आ0ख0नं01583/1.29 हैक्टर में बने हुये हैं । तथा शेष रकवा में होकर तहसील के सामने जाने वाली सडक निकल रही है । जबकि मौके पर आखनं0 1590/0.52 जंगल में दिखाया गया है । यानि कि 1 किमी दूर के0पी0ड्रेन के सहारे सहारे रास्ता जा रहा है । जो मौके पर खाली है । तहसीलदार के सामने काबिज हैं जिन्हें मौके अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। परन्तु तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं दर्शाया है कि प्रार्थी कौनसे खसरा नम्बर में काबिज है । खाली खसरा नम्बर कौनसा है । इससे प्रतीत होता है कि वास्तविक आ0ख0नं0 1590 रकवा 0.52हैक्टर वाके ग्राम कस्बा कामां जहां स्थित है जो सही है । इसलिए शुद्ध किया जाना उचित नहीं है । प्रार्थना पत्र 136 भू0राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाना उचित है ।

अतः आदेश है कि अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है । पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी